रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2188] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 5, 2017/श्रावण 14, 1939
No. 2188] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 5, 2017/SRAVANA 14, 1939

महिला और बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2017

का.आ. 2489(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है:

और, भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात मंत्रालय कहा गया है) गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए मजदूरी हानि के लिए आंशिक प्रतिकर के रूप में नकद प्रोत्साहन देकर उनमें बेहतर स्वास्थ्य की मांग वाले व्यवहार के उद्देश्य से केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक सशर्त नकद अंतरण स्कीम अर्थात "प्रधानमंत्री मातृ वंदना स्कीम" (पीएमएमवीवाई) (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) चला रहा है ताकि महिला अपने बच्चे के प्रसव से पहले और बाद में पर्याप्त रूप से आराम कर सके।

और, सरकार तथा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों (केन्द्रीय और राज्य सरकार, दोनों के अधीन) के कर्मचारी अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन वैसे ही फायदा प्राप्त कर रही कोई भी महिला (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदाग्राही कहा गया है) को छोड़कर कोई भी पात्र गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माता विद्यमान स्कीम के दिशा-निर्देशों में अधिकथित शर्तों के अनुसार प्रथम जीवित बच्चे के लिए 5000/- रूपए का नकद फायदे के लिए हकदार होगी।

और, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही जननी सुरक्षा स्कीम (जेएसवाई) के अधीन मातृत्व फायदा के प्रति स्वीकृत मानदंडों के अनुसार पात्र फायदाग्राही संस्थागत प्रसव के बाद नकद प्रोत्साहन की शेष राशि प्राप्त करेगी ताकि एक महिला औसतन छह हजार रूपए की राशि प्राप्त कर सकेगी।

और, उपरोक्त स्कीम में भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अंतर्वलित है;

अत: अब, केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात –

1. (1) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए इच्छुक प्रत्येक फायदाग्राही से यह अपेक्षा है कि वह आधार नम्बर होने का सबूत प्रस्तुत करे या स्वयं और अपने पति की बाबत आधार अधिप्रमाण प्रक्रिया पूरी करे।

(2) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए इच्छुक कोई भी पात्र फायदाग्राही जिसके पास आधार संख्या नहीं है अथवा जिसने अभी तक अपना आधार के लिए नामांकन नहीं करवाया है, को यथास्थिति आंगनवाड़ी केन्द्रों अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर रजिस्ट्रीकरण कराने के 90 दिन के भीतर आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा बशर्ते कि वह अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसा व्यष्टि आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द्र (सूची यूआईडीएआइ की वैबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकता है।

(3) यदि पात्र फायदाग्राही का पति स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने का इच्छुक है और उसके पास आधार संख्या नहीं है अथवा उसने अभी तक आधार के लिए अपना नामांकन नहीं करवाया है, तो उसे यथास्थिति आंगनवाड़ी केन्द्रों अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पंजीकरण कराने के 90 दिन के भीतर आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा बशर्ते कि वह अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसा व्यष्टि आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द्र (सूची यूआईडीएआइ की वैबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकता है।

(4) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के विभागों से ऐसे फायदाग्राही और उसके पति को नामांकन की सुविधाएं देना अपेक्षित हैं, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं करवाया है और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र नहीं है तो स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के विभाग को यूआइडीएआइ के विद्यमान रजिस्ट्रारों के सहयोग से सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन की सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी अथवा यूआइडीएआइ के रजिस्ट्रार बनकर आधार नामांकन के लिए सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी।

परन्तु जब तक फायदाग्राही अथवा उसके पति को अथवा दोनों को आधार समनुदेशित किए जाने के समय तक निम्नलिखित पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए स्कीम के अधीन फायदा दिया जाता रहेगा, यथा –

(क) (i) यदि उसने अपना नामांकन करवा लिया है तो उसका अथवा उसके पति का आधार नामांकन आई.डी. स्लिप या

(ii) पैरा-2 के उप-पैरा-(2) में यथानिर्दिष्टानुसार उसके अथवा उसके पति द्वारा आधार नामांकन के लिए किए गए अनुरोध की एक प्रति और

(ख) (i) बैंक अथवा डाकखाने की फोटो पासबुक; या (ii) मतदाता पहचान पत्र; या (iii) राशनकार्ड; या (iv) किसान फोटो पासबुक; या (v) पासपोर्ट; या (vi) चालन अनुज्ञप्ति; या (vii) पैन कार्ड; या (viii) एमजीएनआरईजीएस जॉब कार्ड; या (ix) सरकार या किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम द्वारा उसके पति को जारी कर्मचारी फोटो पहचान पत्र; या (x) राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा जारी कोई भी फोटो पहचान पत्र; या (xi) राजपत्रित अधिकारी द्वारा अपने सरकारी लैटरहैड़ पर जारी फोटो सहित पहचान पत्र; या (xii) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा जारी स्वास्थ्य कार्ड; या (xiii) राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज; और

(ग) इस आशय का एक वचनबंध कि पात्र महिला अथवा उसका पति किसी अन्य आंगनवाड़ी केन्द्र अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से स्कीम के अधीन कोई मातृत्व फायदा नहीं ले रहे हैं।

परंतु यह और कि राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा उस प्रयोजन के लिए अभिहित अधिक द्वारा उपरोक्त दस्तावेजों की जांच की जा सकेगी।

परन्तु यह भी कि यदि यथास्थिति पात्र महिला और उसके पति में से कोई भी अथवा दोनों के द्वारा आधार संख्या अथवा नामांकन आई.डी. प्रस्तुत नहीं की जा रही है तो शेष संबंधित व्यष्टि (यों) से यह अपेक्षित है कि स्कीम की तीसरी किस्त के लिए पात्र बनने हेतु वे या तो नामांकन आई.डी. प्रस्तुत करें अथवा आधार नम्बर प्रस्तुत करे अथवा यथा-विनिर्दिष्ट नामांकन सुविधा केन्द्र, पर नामांकन आई.डी. लेने के लिए नामांकन हेतु उपस्थित हो। किन्तु

जो स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के विभाग द्वारा आयोजित केन्द्र तक ही सीमित न हो,

2. फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध फायदे उपलब्ध कराने की दृष्टि से स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के विभाग सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात:-

(1) स्कीम के संभावित फायदाग्राहियों को बाल विकास परियोजना अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, आंगनवाड़ी केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कार्यालय के माध्यम से स्थानीय मीडिया और व्यष्टिक सूचना के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा ताकि वे स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के बारे में जागरूक हो सकें और उन्हें परामर्श दिया जाए कि यदि उन्होंने पहले से नामांकन नहीं करवाया हुआ है तो वे अपने इलाकों में उपलब्ध नजदीकी नामांकन केंद्रों में आधार के लिए वह स्वयं तथा साथ ही अपने पति का नामांकन करवाए स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केंद्रों की सूची उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) यदि पात्र महिला और उसके पति या उनमें से कोई भी, यथास्थिति, ब्लॉक या तालुका या तहसील में नामांकन केंद्र उपलब्ध न होने के कारण स्कीम के अधीन अपने नामांकन नहीं करवा पाए हैं तो स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का संबंधित विभाग उपयुक्त सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराएगा और यथास्थिति, पात्र महिला और उसका पति या उनमें से किसी से भी अनुरोध किया जाएगा कि इस प्रयोजन के लिए स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विशेष रूप से अभिहित संबंधित अधिकारी अथवा वैब-पोर्टल के माध्यम से पैराग्राफ-1 के उप-पैरा (4) के प्रथम परन्तुक में यथा-विनिर्दिष्ट अपने नाम, पता, मोबाइल नम्बर और अन्य विवरण देकर आधार नामांकन के लिए अपना अनुरोध रजिस्ट्रीकृत कराएं।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[सं. 13-7/2016-एमबीपी]

डॉ. राजेश कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2017

S.O. 2489(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And, whereas, the Ministry of Women and Child Development (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is administering a Centrally Sponsored Conditional Cash Transfer Scheme called 'Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY)' (hereinafter referred to as the Scheme) for the pregnant women and lactating mothers with an objective of improved health seeking behaviour amongst them, by providing them cash incentive as a partial compensation for the wage loss so that the woman can take adequate rest before and after the delivery of their child;

And whereas, any eligible pregnant woman and lactating mother excluding the employee of the Government and Public Sector Undertakings (both under Central and State Governments) or those who are in receipt of similar benefits under any law for the time being in force (hereinafter referred to as the beneficiary), are entitled for cash benefits of Rs.5,000/- (hereinafter referred to as the benefit) for the first living child, as per the conditions laid down in the extant Scheme guidelines;

And whereas, the eligible beneficiaries shall receive the remaining cash incentive as per approved norms towards Maternity Benefit under Janani Suraksha Yojana (JSY), administered by the Ministry of

Health & Family Welfare in the Government of India, after institutional delivery so that on an average, a women shall get rupees six thousand;

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:—

1. (1) Every beneficiary desirous of availing the benefits under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication in respect of self and her husband.

(2) Any eligible beneficiary desirous of availing the benefits under the Scheme, who herself does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, shall have to make application for Aadhaar enrolment within ninety days of registration at Anganwadi Centers or Primary Health Centres, as the case may be, provided she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individual may visit any Aadhaar enrolment centre [list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in] to get enrolled for Aadhaar.

(3) If the husband of the eligible beneficiary is desirous of availing the benefits under the Scheme and does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, he shall have to make application for Aadhaar enrolment within ninety days of registration at Anganwadi Centers or Primary Health Centres, as the case may be, provided she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individual may visit any Aadhaar enrolment centre [list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in] to get enrolled for Aadhaar.

(4) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department of the State Government or Union territory Administration responsible for implementing the Scheme is required to offer enrolment facilities for the beneficiary and her husband who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department of the State Government or Union territory Administration responsible for implementing the Scheme shall provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or may provide Aadhaar enrolment facilities by becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to either beneficiary or her husband or to both of them, benefits under the Scheme shall be given to such beneficiary subject to the production of the following identification documents, namely:—

(a) (i) if enrolled, her or her husband's Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of her or her husband's request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2, and

(b) (i) Bank or Post Office photo passbook; or (ii) Voter ID Card; or (iii) Ration Card; or (iv) Kishan Photo Passbook; or (v) Passport; or (vi) Driving License; or (vii) PAN Card; or (viii) MGNREGS job Card; or (ix) her husband's Employee Photo Identity Card issued by the Government or any Public Sector Undertaking; or (x) Any other Photo Identity Card issued by State Governments or Union territory Administrations; or (xi) Certificate of identity with photograph issued by a Gazetted Officer on official letterhead; or (xii) Health Card issued by Primary Health Centre (PHC) or Government Hospital; or (xiii) any other document specified by the State Government or Union territory Administration; and

(c) an undertaking that the eligible woman or her husband are not availing maternity benefits under the Scheme from any other Anganwadi Centre or Primary Health Centre:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the State Government or Union territory Administration for that purpose:

Provided also that in case of Aadhaar number or Enrolment ID is not being provided by either or both the eligible woman and her husband, as the case may be, the relevant remaining person(s) shall be required to either provide Enrolment ID or Aadhaar number or appear for enrolment to get enrolment ID at the enrolment facilities including but not limited to those organised by the Department of the State Government or Union territory Administration responsible for implementing the Scheme to become eligible for the third instalment of the Scheme.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries, the Department of the State Government or Union territory Administration responsible for implementing the Scheme, shall make all the required arrangements including the following, namely:—

(1) Wide publicity through local media and individual notices through the offices of Child Development Project Officers, Supervisors, Anganwadi Centres, Primary Health Centres shall be given to the prospective beneficiaries of the Scheme to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get herself as well as her husband enrolled for Aadhaar at the nearest enrolment centres available in their areas, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) In case, both the eligible woman and her husband or any one of them, as the case may be, under the Scheme are not able to enroll due to non-availability of enrolment centres in the Blocks or Talukas or Tehsils, the concerned Department responsible for implementation of the Scheme in the State Government or Union territory Administration shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations and both the eligible woman and her husband or any of them, as the case may be, may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (4) of paragraph 1, with the concerned officials specifically designated by the State Government or Union territory Administration responsible for implementation of the Scheme or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in all States and Union territories except the State of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[No. 13-7/2016-MBP]

Dr. RAJESH KUMAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.08.05 15:13:35 +05'30'